न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 2021/00235 जिला–अजमेर

1. श्रीमती भगवती पत्नी श्री लक्ष्मण सिंह
2. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह
3. तेजराज पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह
4. मनोज पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह
5. भंवरी पुत्री श्री लक्ष्मण सिंह
6. मंजू पुत्री श्री लक्ष्मण सिंह
7. संतोष पुत्री श्री लक्ष्मण सिंह

   समस्त जाति रावणा राजपूत, निवासी ग्राम बांदनवाड़ा तहसील भिनाय जिला अजमेर।

———अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती मधुबाई पत्नी श्री छोटू सिंह(मृतक) जरिये वारिसानः–
   1/1 सुरेश सिंह पुत्र श्री छोटू सिंह
   1/2 सुशीला पुत्री श्री छोटू सिंह
2. श्री सुरेश पुत्र श्री छोटू सिंह
3. सुशीला देवी पुत्री श्री छोटू सिह

   समस्त जाति रावणा राजपूत, निवासी पंवार भंवनर, शम्भूनगर कोटड़ा पुष्कर रोड़, अजमेर
4. रामसिंह पुत्र श्री रूप सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी संगम स्कूल, पुलिस लाईन के पीछे भीलवाड़ा।
5. गीता पुत्री श्री रूप सिंह पत्नी श्री कैलाश जाति रावणा राजपूत निवासी सांगानेर कॉलोनी, सरकारी स्कूल के पास, कोटा रोड, भीलवाड़ा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला भीलवाड़ा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय जिला अजमेर।

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय अपर कलक्टर, अजमेर दिनांक 14–11–2019 अन्तर्गत
अपील संख्या 38/2016 बउनवान श्रीमती मधुबाई वगैरह बनाम
श्रीमती भगवती वगैरह

————

उपस्थित– 1. श्री अजीत सिंह राठौड़ अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री शिवप्रकाश चौधरी अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1/1 से 1/2

निर्णय

दिनांकः– 01–11–2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बांदनवाड़ा तहसील भिनाय स्थित वादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 1849 रकबा 9–7–10 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 158 रकबा 0.71 हैक्टर तथा 157 रकबा 1.52 हैक्टर बद्री पुत्र श्री गोविन्दा की खातेदारी की आराजियात थी। श्री बद्री के पास वादग्रस्त आरजियात के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति भी थी जिस बाबत श्री बद्री के वारिसान के मध्य बंटवारा किया गया एवं दिनांक 6–6–1997 को श्री बद्री के सभी वारिसान के मध्य समझौता निष्पादित किया गया जिसके अनुसार उक्त आराजियात के अतिरिक्त अचल सम्पत्तियां प्रत्यर्थीगण एवं श्रीमती शांति के वारिसान को प्रदान की गई थी एवं वादग्रस्त आराजियात अपीलार्थीगण के पूर्वज श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री बद्री को प्रदान की गई जिसके आधार पर श्री बद्री की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 286 दिनांक 7–12–1985 को अपीलार्थीगण के पूर्वज श्री लक्ष्मण सिंह के नाम दर्ज की गई जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा अपर कलक्टर अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि स्व0 बद्री के समस्त वारिसान के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना चाहिए था लेकिन मात्र लक्ष्मण सिंह के नाम दर्ज किया गया जो कि गलत है। उक्त अपील में मृतक श्रीमती शांति पुत्री श्री बद्री के वारिसान को भी पक्षकार मुर्तिब नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार कर अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 14–11–2019 को आंशिक रूप से स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 286 दिनांक 7–12–1985 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार, भिनाय को समस्त तथ्यों की जांच कर पक्षकारों को विधिवत सुनवाई एवं साक्ष्य प्रसतुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर मृतक के विधिक वारिसान की पूर्ण जांच कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया। अपर कलक्टर, अजमेर के उक्त आदेश दिनांक 14–11–2019 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कि जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थीगण संख्या 1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत अपील में बद्री के वारिसान का सजरा प्रस्तुत किया जो त्रूटिपूर्ण है तथा श्रीमती शांति पुत्री श्री बद्री के वारिसान में गणपत पुत्र श्री ब्रदी जिसका स्वर्गवास होने के बावजूद उसके वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया जिससे उनके समक्ष प्रस्तुत अपील संधारण योग्य नहीं थी। उक्त तथ्य अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के बावजूद उन्हें पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि मृतक शांति पुत्री श्री बद्री के मृतक पुत्र गणपत के वारिसान द्वारा वादग्रस्त आराजियात बाबत नियमित राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी भिनाय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो वर्तमान में विचाराधीन है जिसकी नकल अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि श्रीमती शांति के पुत्र गणपत पुत्र श्रीमती शांति के वारिसान द्वारा नियमित राजस्व वाद वास्ते उद्घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया जिसमें सभी पक्षकारान के हक अधिकार एवं स्वत्व बाद साक्ष्य निर्धारित किये जायेंगे। ऐसी स्थिति में नियमित राजस्व वाद के विचाराधीन रहते उक्त समरी कार्यवाही को स्थगित किया जाना न्यायोचित है एवं इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के उद्धरण प्रस्तुत किये गये किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं को नजर अन्दाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष 31 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की गई जो कि भारी मियाद बाहर थी। इस संबंध में प्रस्तुत प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है लेकिन मियाद का बिन्दु प्रत्येक स्तर पर निवेदन किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया है जो प्रथमदृष्टया अवैधानिक होकर उनके समक्ष प्रस्तुत अपनील मियाद बाहर होने से निरस्त किये जाने योग्य थी।

उनका यह भी तर्क है कि पक्षकारान के मध्य हुए पारिवारिक समझौता दिनांक 6–6–1997 में स्वयं प्रत्यर्थीगण संख्या 1 लगायत 3 सहमत थें। उनके स्वयं की स्वीकृति के विपरीत जाकर अवैधानिक तथ्यों पर आधारित अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजरअन्दाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है।

उनका यह भी तर्क है कि राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका विचाराधीन है इस बाबत साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका था कि प्रकरण से संबंधित

वादग्रस्त भूमि बाबत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका विचाराधीन है एवं श्रीमती शांति पुत्री श्री बद्री के मृतक पुत्र श्री गणपत के वारिसान की ओर से नियमित राजस्व वाद विचाराधीन है जिससे माननीय उच्च न्यायालय एवं उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा पारित किये जाने वाले निर्णय तक रिकार्ड पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार नामान्तरकरण से संबंधित कार्यवाही ताफैसला मूल वाद तक स्थगित कर देनी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक श्री बद्री के विधिक वारिसानों की पूर्ण जांच कर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है जबकि मृतक के विधिक वारिसान की जांच बाबत आदेश 22 नियम 5 जा0दी0 में प्रावधान है कि उक्त जांच करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय में निहित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए अपने में निहित क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14–11–2019 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 /1 से 1/2 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ग्राम बांदनवाड़ा तहसील भिनाय की विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 1849 रकबा 9–7–10 बीघा हाल खसरा नम्बर 158 व 157 रकबा 0.71 व 1.52 हैक्टर के खातेदार प्रत्यर्थीगण के दादा स्व0 बद्री पुत्र गोविन्द थे जिनकी मृत्यु उपरान्त मृतक की पत्नी श्रीमती पार्वती व उनके पुत्र श्री लक्ष्मण के नाम विरासत का आक्षेपित नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया जबकि मृतक के अन्य कई वारिसान थे एवं विवादित आराजियात में अपना हक व अधिकार रखते है तथा वर्तमान में काबिज काश्त चले आ रहे है। आक्षेपित नामान्तरकरण में मृतक की विरासत गलत सजरे के आधार पर तस्दीक किया जाकर कॉलम संख्या 16 में मृतक के दो ही वारिस श्रीमती पार्वती पत्नी व श्री लक्ष्मण पुत्र बताये गये जबकि आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 286 तस्दीक किये जाने के दौरान मृतक के दो पुत्र व तीन पुत्रियां थी जिनके नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया गया जबकि विधिक वारिसानों के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना चाहिए था।

उनका यह भी कथन है कि प्रत्यर्थीगण के पति/पिता लक्ष्मण पुत्र बद्री द्वारा मृतक के अन्य वारिसान के जीवित होने का तथ्य छिपाकर नामान्तरकरण स्वीकृत करवाया जबकि प्रत्यर्थीगण मृतक के विधिक वारिसान है। आक्षेपित नामान्तरकरण बिना विधिक वारिसानों की जांच कराये तस्दीक किया गया है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थीगण का यह कथन गलत है कि अधीनस्थ न्यायलय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 7–2–1985 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–1–2015 एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश

दिनांक 3–1–2019 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट संख्या 3581/2019 प्रस्तुत की गई जो विचाराधीन है जबकि माननीय न्यायलय में प्रस्तुत रिट डीफेक्ट में है एवं किसी प्रकार के नोटिस जारी नहीं किये गये है। प्रकरण दिनांक 27–3–2019 को सूचीबद्ध था किन्तु वर्तमान स्थिति की जानकारी अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 10 जा0दी0 का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण पर स्थगन का प्रार्थना पत्र दिनांक 12–11–2014 को खारिज कर दिया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट विचाराधीन है किन्तु स्थगन नहीं है। तहसीलदार द्वारा स्व0 बद्री के विधिक वारिसानों की जांच की जाकर नये सिरे से नामान्तरकरण खोल दिया जायेगा। अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से अपील पेश की है। राजस्व मण्डल अजमेर ने निगरानी में माना है कि अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण के मध्य कोई समझौता नहीं हुआ है। अपर कलक्टर द्वारा नामान्तरकरण खारिज कर प्रकरण तहसीलदार, भिनाय को प्रतिप्रेषित किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने जवाबुल जवाब में कथन किया कि पक्षकारान के मध्य हुए पारिवारिक समझौता दिनांक 6–6–1997 में स्वयं प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 3 सहमत थे जिनके स्वयं के हस्ताक्षर एवं अंगूठे के निशान अंकित है। मृतक मधुबाई व सुरेश ने बंटवारे के दस्तावेज को पढ़कर सुनाया गया था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय में रिट संख्या 3581/2019 प्रस्तुत की गई जो विचाराधीन है।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम बान्दनवाड़ा तहसील भिनाय स्थित विवादित आराजियात खसरा नम्बर 1849 रकबा 9–7–10 बीधा जिसके हाल खसरा नम्बर 158 व 157 रकबा क्रमश 0.71 व 1.52 हैक्टर के मूल खातेदार काश्तकार श्री ब्रदी पुत्र श्री गोविन्दा थे जिनकी मृत्यु के पश्चात फौती का नामान्तकरण तहसीलदार द्वारा मु0 पार्वती बेवा ब्रदी व श्री लक्ष्मण पुत्र बद्री के पक्ष में विरासतन नामान्तकरण संख्या 286 दिनांक 7–12–1985 स्वीकृत कर दिया गया जबकि स्व0 बद्री पुत्र गोविन्दा की मृत्यु उपरान्त बद्री के समस्त विधिक वारिसानों की जांच कर नामान्तकरण तस्दीक किया जाना चाहिए था लेकिन तहसीलदार, द्वारा केवल लक्ष्मण सिंह के नाम नामान्तकरण दर्ज कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–4 के अनुसार हिन्दू पुरूष की मृत्यु पश्चात उसकी विधवा, पुत्रियां एवं पुत्र उसकी सम्पत्ति

के बराबर हिस्सेदार रहेगें। इसी प्रकार उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 33, 34 एवं 59 के अनुसार वादग्रस्त आराजियात के भूधारक की मृत्यु होने पर उसके जाईन्दा पुत्र, पुत्री एवं विधवा तथा विधवा की मृत्यु पश्चात उसके हक की सम्पत्ति उसके पुत्र एवं पुत्रियों में बहिस्सा बराबर आयेगी। तहसीलदार, को विरासतन नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व स्व0 बद्री पुत्र गोविन्दा के विधिक वारिसानों की जांच कर नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना चाहिए था। चूंकि नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रोसिडिंग्स है जिसमें किसी के हक एवं अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है। नामान्तरकरण विवादित भूमि में कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नहीं करता है। नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में वसीयत, गोद, उत्तराधिकार के जटिल विवाधक का विनिश्चय करना संभव नहीं होता है। अपीलार्थीगण को अपने हक व स्वामित्व को स्थापित करने के लिए सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर चाराजोही करके प्राप्त कर सकते है। इस अपील में अपीलार्थीगण को कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर द्वारा प्रकरण तहसीलदार, भिनाय को प्रतिप्रेषित किया जाकर समस्त तथ्यों की जांच कर पक्षकारों को पुनः सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तत करने का समुचित अवसर देकर मृतक के विधिक वारिसान की पूर्ण जांच करने के पश्चात नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु आदेशित किया है जो विधिसम्मत है। ऐसी स्थिति में अपर कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14–11–2019 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–11–2019 अन्तर्गत अपील संख्या 38/2016 बउनवान श्रीमती मधुबाई वगैरह बनाम श्रीमती भगवती वगैरह विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01–11–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर